न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 77/17 उप. राजस्व विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब नाम :

झाबरराम पुत्र श्री बक्शाराम जाट सा. बिशेल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझनू। —अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. स्टेट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामचन्द्रसिंह भाटी उपस्थित।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 25.03.19

1. प्रार्थी स्टेट उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.3 मु. बज्जु की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री झाबरराम पुत्र बक्शाराम जाट निवासी बिशेल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझनू को अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.07 को चक 1 डी.एम.एल.आर. में मुरब्बा नं. 141/51 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन किया गया जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई गयी। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 डीएलएमआर के मुरब्बा नं. 141/51 की 25 बीघा कमाण्ड भुमि आवंटन की गई थी। आवंटन पत्रावली में उपलब्ध पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है। वर्ष 1983 में भूतपूर्व सैनिको को आवंटन के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन एवं दस्तावेजो की जांच की जाकर अप्रार्थी को वर्ष 1985 में 23.07 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन का पात्र घोषित किया गया। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12.06.04 में आवंटन अधिकारी द्वारा चक 3 एसएलएम के मुरब्बा नं. 237/9 की 25 बीघा अनकमाण्ड भुमि आवंटित की गयी। आवंटित भुमि काबिल काश्त नहीं होने से कमाण्ड भुमि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 4.06.07 को चक 1 डीएलएमआर में मुरब्बा नं. 141/51 की 25 बीघा कमाण्ड भुमि आवंटित की गयी। पत्रावली में फर्द अहकाम में पूर्व आवंटन निरस्त कर नवीन आवंटन दर्ज है तथा अध्यक्ष एवं आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा आवंटन पर्ची पर भी अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। नोटिस में विनिमय समिति की अनुशंषा के बगैर आवंटन करने का उल्लेख का सर्वदा बेबुनियाद एवं गलत है। आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गई है। यह भी सर्वदा गलत है। समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर में होते है। नियम 13(6) के अंतर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथनो व लिखित बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा आरआरडी 2001 पेज 133(सी), एआईआर 1954एससी1128, आरआरडी 2000 पेज 90 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र पत्र प्रार्थी नियम 22(3) उपनिवेशन आंवटन नियम,1975 खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन प्रकिया एवं नियमो के विपरित तथा नियम विरूद्ध है। आवंटन निर्धारित प्रकिया के अनुरूप नहीं होने के कारण संदेहास्पद है। अतः प्रार्थी स्टेट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी झाबरराम पुत्र श्री बक्शाराम जाट सा. बिशेल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझनू को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इगानप, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2007 को चक 1 डीएलएमआर के मुरब्बा नं. 141/51 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भुमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, कोलायत को आदेश दिये जाते है कि वे उपर्युक्त भूमि को बहक सरकार कब्जे में ली जा कर तत्काल इसका अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करें। अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रेषित की जावे।

7. आदेश आज दिनांक **25.03.2019** को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर (राज.)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner